छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रं. एफ 10–15/2015/1/5 (पार्ट–4) नया रायपुर, दिनांक 15/01/2016

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः– गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, 2016 के अवसर पर समारोह का आयोजन ।

––00––

राज्य शासन ने प्रदेश में 26 जनवरी 2016 को "गणतंत्र दिवस" का समारोह निम्नानुसार मनाने का निर्णय लिया हैः–

1. **शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना :–** प्रदेश में सभी शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।

2. **राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन :–** राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस का समारोह स्थानीय पुलिस परेड ग्राउण्ड में प्रातः 9.00 बजे से निर्धारित कार्यक्रम समय के अनुसार आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से निम्नानुसार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगेः–

   (1) **माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा ध्वजारोहण एवं परेड की सलामी का कार्यक्रमः–** माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पुलिस परेड ग्राउण्ड, रायपुर में ध्वजारोहण एवं परेड के कार्यक्रम विधिवत आयोजित होंगे। परेड में सी.आर.पी. एफ., सी.आई.एस.एफ, डी.एफ, जेल बल, होम गार्ड, एन.सी.सी., (मिक्स लड़के एवं लड़कियां), स्काउट, एस.टी.एफ.कमान्डों, बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी. एवं आर्मी की टुकड़ियॉ शामिल होंगी।

   (2) **माननीय राज्यपाल महोदय का उद्बोधन :–** माननीय राज्यपाल महोदय उपस्थित जन समूह को संबोधित करेंगे।

   (3) **पदक अलंकरण समारोह :–** गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं पदकों का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

   (4) **स्कूली छात्र/छात्राओं के कार्यक्रम :–** समारोह स्थल पर स्कूली छात्र/छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी।

   (5) **झांकियों का प्रदर्शन एवं लोक नर्तक दलों की प्रस्तुतियां :–** समारोह स्थल पर विभिन्न विभागों/संस्थानों द्वारा तैयार की गई चलित झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा।

क्रमशः––2

(6) **समारोह स्थल पर रंगीन गुब्बारे उड़ाना :–** समारोह स्थल पर यथासमय रंगीन गुब्बारे उड़ाये जाएंगे।

3. **जिला मुख्यालय स्तर पर समारोह का आयोजन :–** जिला मुख्यालयों में शासन द्वारा विनिर्दिष्ट माननीय मंत्रीजी/महानुभाव द्वारा ध्वजारोहण किया जाकर परेड की सलामी ली जाएगी एवं "माननीय मुख्यमंत्रीजी के संदेश" का वाचन किया जाएगा। विनिर्दिष्ट माननीय मंत्रीजी/महानुभाव के नाम की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों को पृथक से भेजी जाएगी तथा माननीय मुख्यमंत्रीजी का संदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल जिला मुख्यालयों में परेड आयोजित की जाएगी, जिला मुख्यालयों के अलावा अन्य किसी स्थान पर परेड आयोजित नहीं होगी। परेड में सेना (जहॉ उपलब्ध हो), पुलिस, एन.सी. सी.नगर सेना, जेल प्रहरी की टुकड़ियां भाग लेंगी। यह ध्यान रखा जाएगा कि समारोह में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम गरिमामय एवं रूचिपूर्ण हों।

4. **तहसील एवं ब्लाक स्तर पर समारोह का आयोजन :–** जनपद पंचायत मुख्यालयों पर संबंधित जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा एवं राष्ट्रगान होगा। ऐसी नगर पालिका/नगर पंचायत जिनका मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय पर नहीं है, उनमें अध्यक्ष, नगरपालिका/नगर पंचायत द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।

5. **ग्राम स्तर पर समारोह का आयोजन :–**

(अ) गांवों में प्रातः 07:00 बजे प्रभातफेरी आयोजित की जाएगी, जिसमें स्कूली छात्र/छात्राओं, ग्रामवासी, नगरसेना एवं सामान्य जन भाग ले सकेंगे। प्रभातफेरी गांव में उस स्थान पर एकत्रित होगी, जहॉ ध्वजारोहण एवं ध्वज की सलामी का कार्यक्रम निर्धारित किया हो। कार्यक्रम में "गणतंत्र दिवस" का संदेश पढ़ा जाएगा एवं राष्ट्रीय गान होगा। समारोह के समापन पर समारोह स्थल पर उपस्थित बच्चों को मिठाई वितरित की जाए।

(ब) गणतंत्र दिवस पर ग्रामीण खेल आयोजित किए जाएं।

(स) संध्या के समय ग्रामवासियों के मनोरंजन हेतु अन्य ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिनमें कोई व्यय न हो। जहॉ तक संभव हो "चलचित्र" की व्यवस्था जनसम्पर्क एवं समाज कल्याण विभाग के सिनेमा वाहन द्वारा की जाए।

6. **अन्य कार्यक्रम :–**

ऊपर उल्लेखित कार्यक्रमों के अलावा स्थानीय प्रेरणा एवं सुविधा के अनुसार अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

1st/1/16

(आर.पी.राठिया)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः––3

पृष्ठां. क्रं. एफ 10–15/2015/1/5 (पार्ट–4) नया रायपुर, दिनांक 15/01/2016

प्रतिलिपिः–

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, नया रायपुर,
5. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर,
6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर,
7. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
12. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
13. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग /छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग/विद्युत नियमक आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग /अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग/युवा आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग,
14. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़,
15 निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्रीगण/माननीय संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
16. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ, नया रायपुर,
17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर,
18. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (NIC) मंत्रालय, रायपुर। कृपया सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईड में प्रविष्टि करने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

15/1/16

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

H/Pathak/26January, 2016